भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / Northern Regional Office, Chandigarh

फाइल संख्या : 9 HRB182/2018 CHA   दिनांक: 22-10-2018

सेवा में ,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
हरियाणा सरकार,
हरियाणा सिविल सचिवालय,
चण्डीगढ -160001

विषय:- **Diversion of 0.382 ha of forest land in favour of Executive Engineer, Provincial Division No. 1, PWD (B&R), Ambala for widening of MSN to Jagouli road km. 0-6.270, under Forest Division and District Ambala, Haryana (online proposal no. FP/HR/Road /33159/2018)**

संदर्भ: i). प्र०मु०वन संरक्षक, हरियाणा के पत्र संख्या प्रशा डी तीन 8490/2480 दिनांक 03.10.2018

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भाकित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-२ के अधीन अनुमति मांगी गई है।

2. राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात उपर्युक्त विषय हेतु **0.382** हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए **सैधांतिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो को पूरी करने पर प्रदान की जाती है|

i. प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाये|

ii. प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के दोगुणा penal CA scheme तैयार कर उसके अनुसार पैनल प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाये|

iii. प्रयोक्ता एजेंसी से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या F.No. 11-42/2014/FC dated 20.01.2018 के तहत penalty for violation की राशि भी जमा करवाई जाये|

iv. माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि की नैट प्रजेंट वैल्यु जमा करवाई जाये।

v. प्रयोक्ता एजेंसी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से जमा करवाएगी।

vi. User agency should ensure that the compensatory levies (CA cost, NPV, etc.) are deposited through challan generated online on web portal and deposited in appropriate bank only. Amount deposited through other mode will not be accepted as compliance of the Stage-I clearance.

vii. User Agency shall ensure that no other proposal in the division, for which Stage-I has already been granted in the past, is still pending for compliance of conditions of Stage-I approval. An Undertaking to this effect that **"no such proposal for compliance of conditions of Stage-I approval is pending with this division"** be submitted. Compliance of the same will be mandatory for the final clearance of this proposal by this office.

3. अन्तिम स्वीकृति के उपरांत निम्नलिखित शर्तों का पालन भी किया जायेगा ।

i. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी ।
ii. प्रस्ताव के अनुसार कम से कम वृक्ष काटे जायेंगे | प्रस्ताव के अनुसार काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या 205 और पौधो की संख्या 600 से अधिक नहीं होगी |
iii. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा ।
iv. साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पंहुचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे।
v. जब कभी भी NPV की राशी बढाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी|
vi. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्तिथि में किसी अन्य एजेंसी ,विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा|
vii. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा|
viii. वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा|
ix. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे ,जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धनराशी उपलब्ध करायी जायेगी|
x. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानत :वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध करायेगी ,ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके|
xi. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1980, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी|
xii. कूड़ा कर्कट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जायेगा|
xiii. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण ,सुरक्षा तथा विकास हेतू समय –समय पर लगाई जा सकती है |
xiv. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी ।

4. उपरोक्त पैरा-2 के अधीन शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अन्तिम स्वीकृति के लिये प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा |*केन्द्रीय सरकार की अन्तिम अनुमति दिये जाने तक वन भूमि का उपयोग नही किया जायेगा ।*

भवदीय,

(सी० डी० सिंह) 22/10/2018
अ०प्र०मु०वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:-

1. अपर वन महानिदेशक (वन), पर्यावरण जलवायु परिवर्तन वन एवं ,मंत्रालय, इन्द्रा पर्यावरण भवन, जोर बाग, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. The Principal Chief Conservator of Forests, Haryana Forest Department, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana.
3. Addl. PCCF (FCA) & CAMPA, Government of Haryana, Forest Department, Sector-6, Van Bhawan, Panchkula, Haryana. 134009
4. The Divisional Forest Officer, Forest Division and District Ambala, Haryana.
5. The Executive Engineer, Provincial Division No. 1, PWD B&R Br. Ambala